५.2) सामान्य परिचय

1) **संविधान सभा ⇒** एक ऐसा निर्वाचित या प्रतिनिधि निकाय जो किसी देश के मूलभूत कानूनों तथा राजनीतिक ढांचे का 'समुच्चय, तैयार करता है।

- **अवधारणा** - सर हेनरी मैन
- **प्रथम संविधान सभा**
  - → फिलाडेल्फिया सम्मेलन (1787, अमेरिका)
  - → राष्ट्रीय संविधान सभा (1789, फ्रांस)

2) **कैबिनेट मिशन** ⟶ संविधान सभा का गठन (दिसंबर 1946)

- **आधार** ⟶ अप्रत्यक्ष निर्वाचन व मनोनयन (देशी रियासतें) ⇒ **जुलाई 1946**

एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

प्रांतीय विभानसभाएं

भारत शासन Act 1935 द्वारा 1937 के प्रांतीय चुनाव

- **प्रांत व रियासतें - प्रत्येक 10, लाख की आबादी पर एक सीट**
- **तीन समुदाय - सामान्य, मुस्लिम एवं सिख**

संविधान सभा (CA)

1) सभा / संस्था ⇒ संविधान का निर्माण

Assem / Body ⇒ Cont. formation

2) दुनिया की पहली संविधान सभा = USA (1787) — भारत (India)

- Dec 1946
- कैबिनेट मिशन 1946

CABINET Mission
कैबिनेट मिशन

अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect Election) ⟹ July 1946

राज्य | Province

- PR-STV
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व
- एकल संक्रमणीय मत

389 सीट

आधार (group) ⟹ 10 लाख की जनसंख्या = 1 सीट

1 Seat per 1 million people

- मुस्लिम
- सामान्य
- सिख

महिला ✓

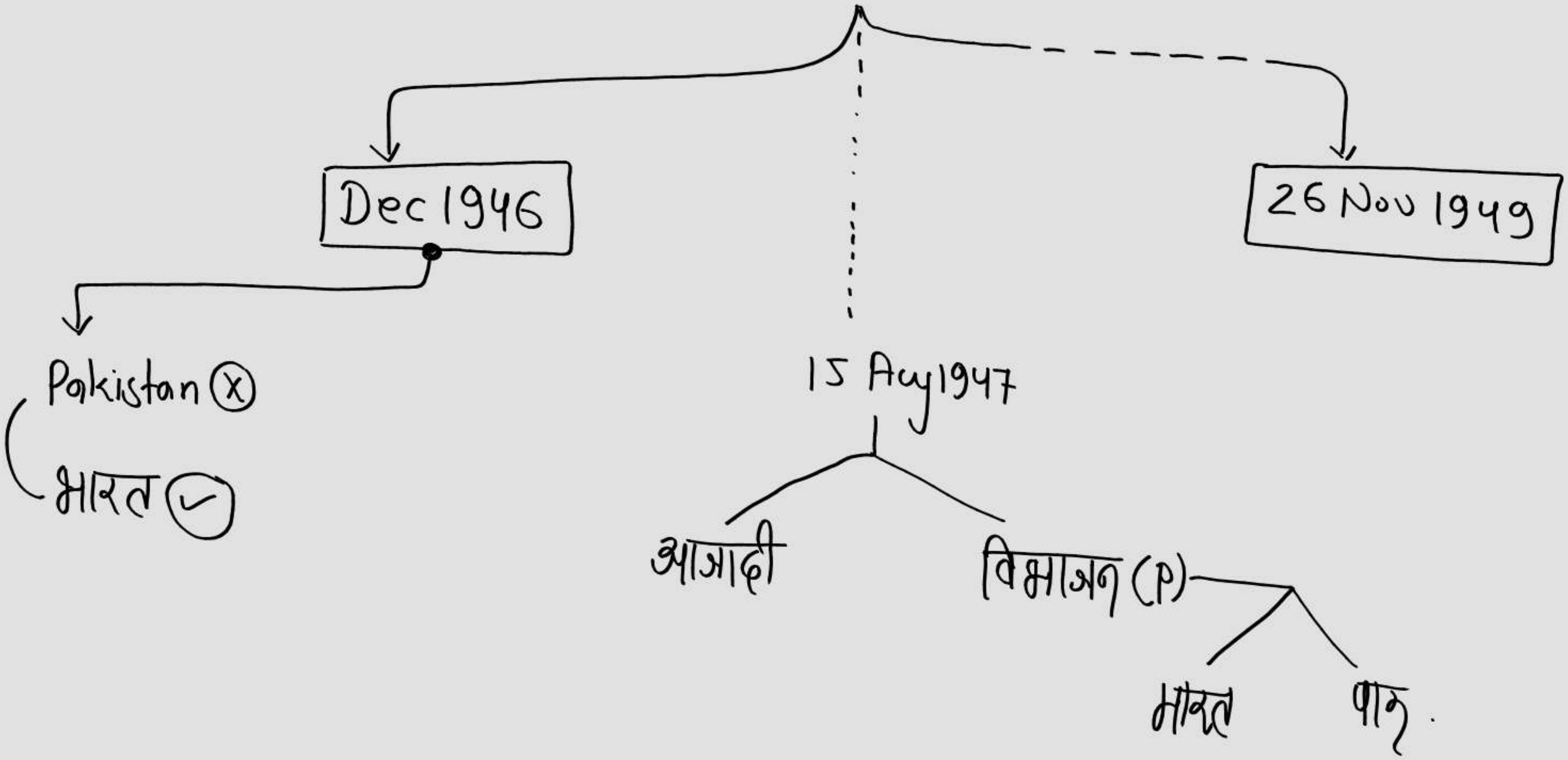
Dec 1946
26 Nov 1949
Pakistan ⓧ
भारत ✓
15 Aug 1947
आज़ादी
विभाजन (P)
भारत
पाक.

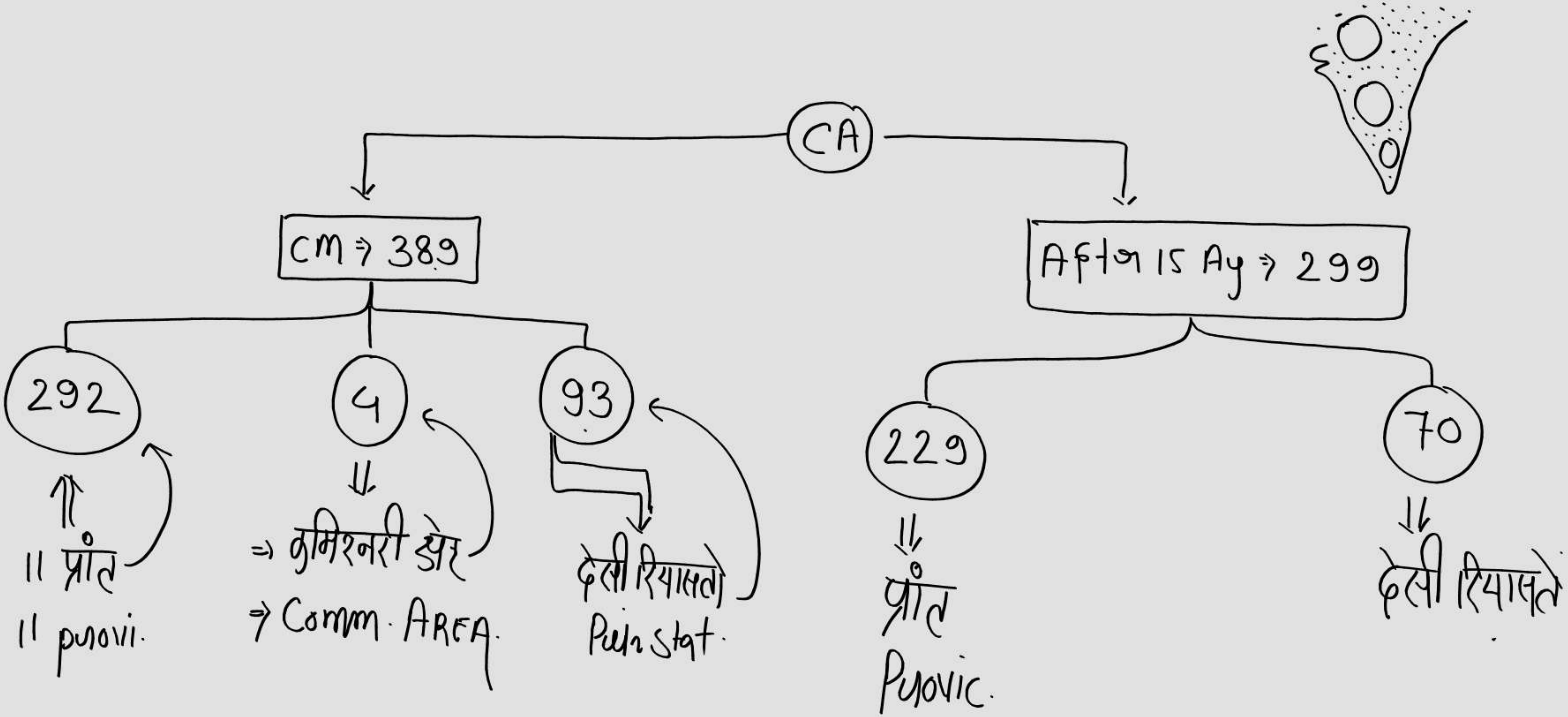
CA
CM ⇒ 389
After 15 Ay ⇒ 299
292
4
93
229
70
|| प्रांत
|| provi.
⇒ कमिश्नरी क्षेत्र
⇒ Comm. AREA.
देसी रियासतें
Princ stat.
प्रांत
Provic.
देसी रियासतें

4.2) General Introduction

1) **Constituent Assembly** ⇒ An elected or representative body that prepares the 'compilation' of fundamental laws and political framework of a country.

- **Concept** - Sir Henry Maine
- **First Constituent Assembly**
  - → Philadelphia Convention (1787, America)
  - → National Constituent Assembly (1789, France)

2) **Cabinet Mission** ⟶ Formation of Constituent Assembly (December 1946)

- **Basis** ⟶ Indirect election and nomination (Princely States) ⇒ July 1946

Proportional representation through Single Transferable Vote

Provincial Legislatures

Provincial elections of 1937 under Government of India Act 1935

- **Provinces and Princely States - One seat for every 10 lakh population**
- **Three communities - General, Muslim and Sikh**

4.3) संविधान सभा की संरंचना

कैबिनेट मिशन 1946

389 सीटें

- **292** ⇩ 11 ब्रिटिश प्रांत
- **04** ⇩ कमिश्नरी क्षेत्र
- **93** ⇩ देसी रियासतो द्वारा मनोनीत

(11 ब्रिटिश प्रांत + कमिश्नरी क्षेत्र) → **निर्वाचन**

- सामान्य → 213
- मुस्लिम → 79
- सिख → 04
- सर्वाभौमिक वयस्क मताधिकार ×××
- अप्रत्यक्ष व सीमित निर्वाचन ✓✓✓

विभाजन उपरांत

299 सीटें

- **229** ⇩ 12 प्रांत
- **70** ⇩ 29 देशी रियासत

भारतीय स्वतंत्रता अधि 1947 (धारा 8) ⇒
संविधान सभा ⇒ भारत की पहली संसद
विधायिका ⇒ दोहरी भूमिका

संविधान सभा
(दिसंबर 1946 - 26 जनवरी 1950)

↓

दोहरी भूमिका (Dual function)

- संविधान सभा (CA)
  - अध्यक्ष / Chairman ⇒ डॉ राजेन्द्र प्रसाद
- संसद (Parl)
  - अध्यक्ष ⇒ GV मावलंकर

4.3) Structure of the Constituent Assembly

Cabinet Mission 1946

389

- **292** ⇩ 11 British Provinces
- **04** ⇩ Commissioner Areas
- **93** ⇩ Nominated by Princely States

11 British Provinces + Commissioner Areas → **Elections**

- General → 213
- Muslim → 79
- Sikh → 04
- Universal Adult Franchise ×××
- Indirect and Limited Election ✓✓✓

After Partition

299

- **229** ⇩ 12 Provinces
- **70** ⇩ 29 Princely States

Indian Independence Act 1947 (Section 8) ⇒ Constituent Assembly ⇒ First Legislature of India ⇒ Dual Role

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (धारा 8)
Indian Independence Act 1947 (Section 8)
1947
संविधान सभा
Constituent Assembly
दोहरी भूमिका
Dual Role
संविधान निर्माण
Constitution Making
विधायिका
Legislature
डॉ राजेंद्र प्रसाद
Dr. Rajendra Prasad
जी. बी. मावलंकर
G. B. Mavalankar

HISTORICAL RECORD OF INDIA
भारत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

◆ चीफ कमिश्नरी के चार प्रांतों से 4 प्रतिनिधि

- ✓ दिल्ली ⟶ देशबन्धु गुप्त
- ✓ अजमेर-मारवाड़ ⟶ मुकुट बिहारी लाल भार्ग
- ✓ कुर्ग ⟶ सी.एम. पुनांचा (मध्यप्रदेश के राज्यपाल भी रहे)
- ✓ ब्रिटिश बलूचिस्तान ⟶ एस. बी. नवाब मोहम्मद खान जोगेजई

Representatives details for the Constituent Assembly

जुलाई 1946 ⇒ निर्वाचन / election

- कांग्रेस ⇒ 208
- मुस्लिम लीग ⇒ 73
- महात्मा गांधी (x)
- MA जिन्ना (x)
- 389 ⇒ 299
  - 70 सीट → PS
    - रियासत
    - (7) : मैसूर
    - (6) : त्रावणकोर
  - राज्य / प्रांत
    - Prov
    - संयुक्त प्रांत (Unit) ⇒ 55
    - मद्रास = 49
- CA
  - ST = 33
  - SC = 26
  - Women = 15
    - 5 : UP
    - ?

५.५) संविधान सभा हेतु निर्वाचन

जुलाई 1946 | **अप्रत्यक्ष - प्रांतो द्वारा** | **एकल संक्रमणीय मत**

परिणाम

- कांग्रेस →208
- मुस्लिम लीग → 73
  - 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन व सभा का बहिष्कार
  - कैबिनेट मिशन → असफल
- स्वतंत्र →08
- अन्य → 07

महात्मा गांधी → संविधान सभा और अंतरिम सरकार में नही थे

समुदाय

- सिख (06)
- मुस्लिम (80)
- पारसी (3)
- महिला (15)
- अनुसूचित जाति (26)
- अनुसूचित जनजाति (33)

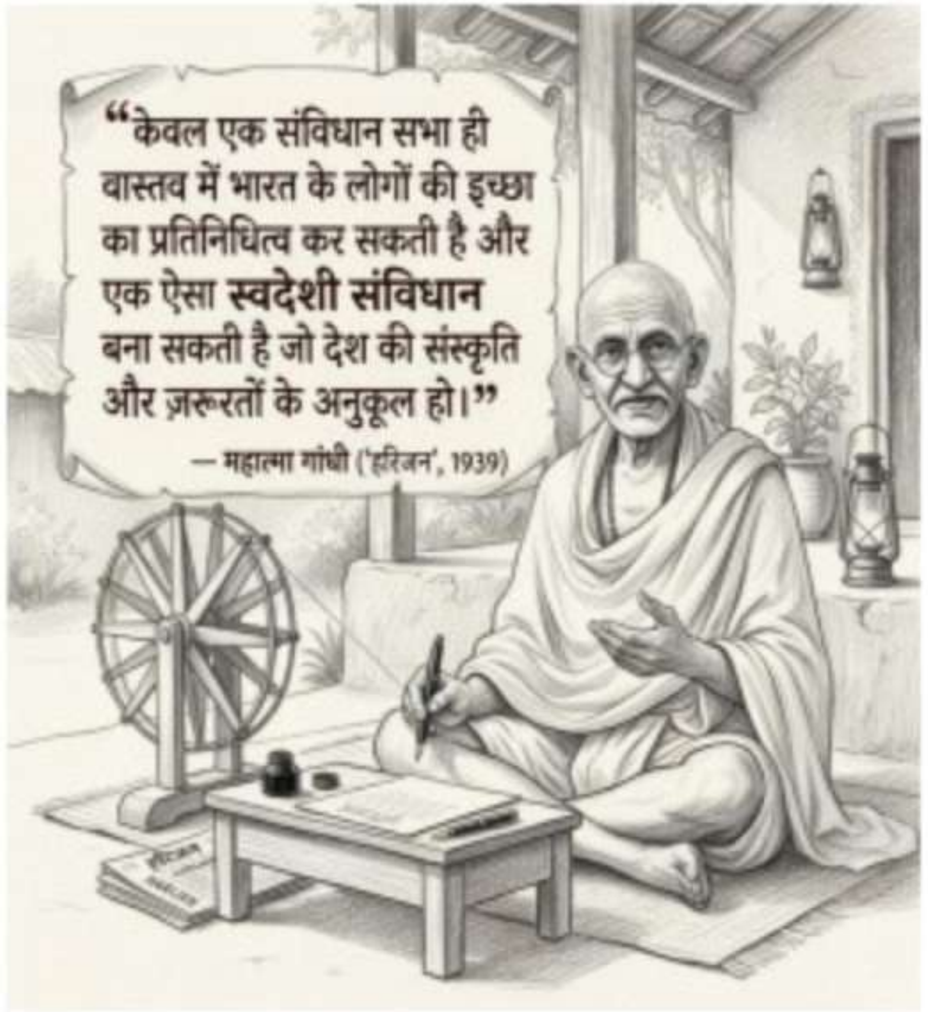

4.4) Elections for the Constituent Assembly

- **July 1946**
- **Indirect - Through Provinces**
- **Single Transferable Vote**

Result

- Congress → 208
- Muslim League → 73
  - 29 July 1946 : Cabinet Mission and Assembly boycotted
  - Cabinet Mission → Failed
- Independent → 08
- Others → 07

Mahatma Gandhi → not part of the Constituent Assembly and Interim Government

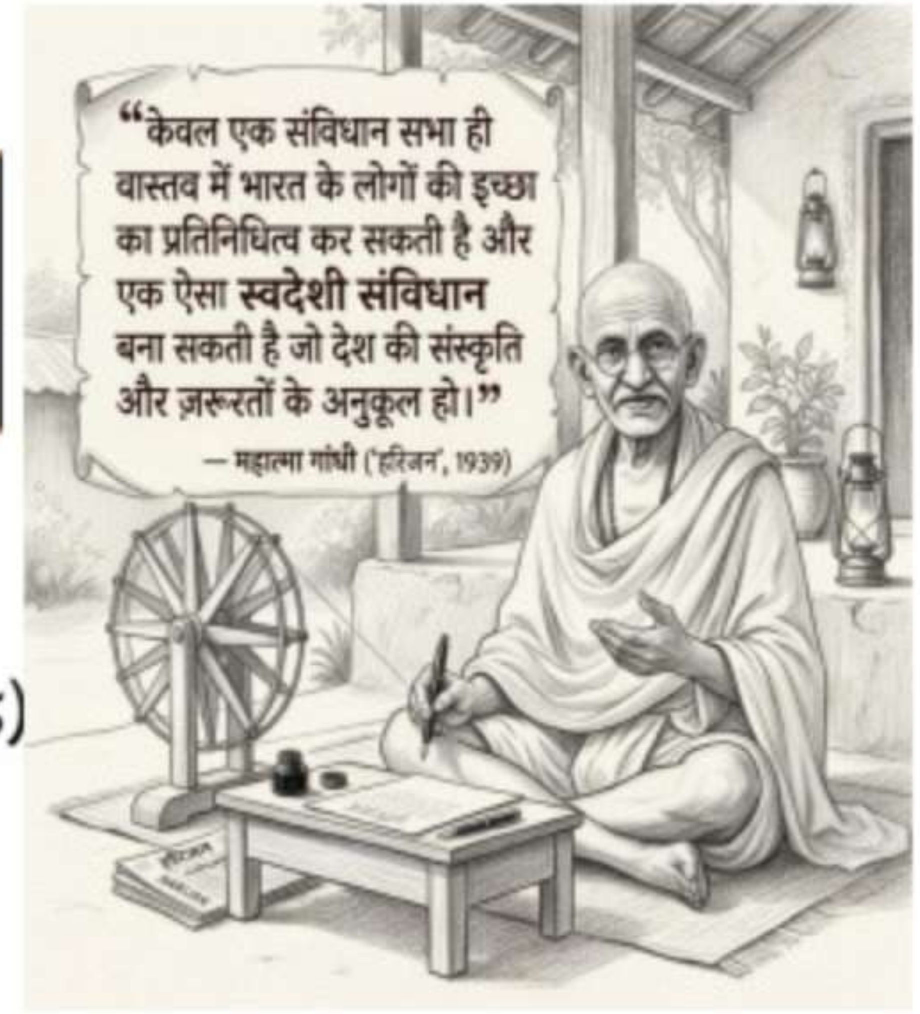

Communities

- Sikh (06)
- Muslim (80)
- Parsis (3)
- Women (15)
- Scheduled Caste (26)
- Scheduled Tribe (33)

A) 31 दिसंबर, 1947 को भारत की संविधान सभा की राज्यवार सदस्यता

प्रांत 229	
राज्य	सदस्यों की संख्या
मद्रास	**49**
बॉम्बे	21
पश्चिम बंगाल	19
संयुक्त प्रांत	**55**
पूर्वी पंजाब	12
बिहार	36
सी.पी. एवं बरार	17
असम	8
उड़ीसा	9
दिल्ली	1
अजमेर - मारवाड़	1
कर्ग	1

29 रियासतें — 70	
रियासत / राज्य समूह	सीटें
मैसूर	**7**
बड़ौदा	3
भोपाल	1
त्रावणकोर	**6**
कोचीन	1
ग्वालियर	4
इंदौर	1
जयपुर	**3**
जोधपुर	2
त्रिपुरा, मणिपुर एवं खासी	1

हैदराबाद रियासत से कोई प्रतिनिधि नहीं था

A) State-wise membership of India's Constituent Assembly as on 31 December 1947

12 Provinces → 229	
Madras	**49**
Bombay	21
West Bengal	19
United Provinces	**55**
East Punjab	12
Bihar	36
C.P. and Berar	17
Assam	8
Odisha	9
Delhi	1
Ajmer - Marwar	1
Coorg	1

29 Princely States → 70	
Mysore	**7**
Baroda	3
Bhopal	1
Travancore	**6**
Cochin	1
Gwalior	4
Indore	1
Jaipur	**3**
Jodhpur	2
Tripura, Manipur and Khasi	1

There was no representative from the Hyderabad State.

B) संविधान सभा की महिला सदस्य → 4%

नाम	निर्वाचन क्षेत्र
अम्मू स्वामीनाथन	मद्रास
एनी मैस्करीन	त्रावणकोर रियासत
बेगम एजाज रसूल	संयुक्त प्रांत (मुस्लिम)
दक्षिणायनी वेलायुदन	मद्रास (SC महिला)
जी. दुर्गाबाई	मद्रास
हंसा मेहता	बॉम्बे
कमला चौधरी	संयुक्त प्रांत
लीला रे	पश्चिम बंगाल
मालती चौधरी	उड़ीसा
पूर्णिमा बनर्जी	संयुक्त प्रांत
राजकुमारी अमृत कौर	मध्य प्रांत और बरार
रेणुका रे	पश्चिम बंगाल/सामान्य
सरोजिनी नायडू	बिहार
सुचेता कृपलानी	संयुक्त प्रांत
विजयलक्ष्मी पंडित	संयुक्त प्रांत

- संयुक्त प्रांत (United Provinces) से 5 महिलाएँ थी
- भारतीय संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक में 10 महिला सदस्य मौजूद थी।

B) Women Members of the Constituent Assembly

Name	Constituency
Ammu Swaminathan	Madras
Annie Mascarene	Travancore and Cochin Union
Begum Aizaz Rasul	United Provinces (Muslim)
Dakshayani Velayudhan	Madras (SC Woman)
G. Durgabai	Madras
Hansa Mehta	Bombay
Kamala Chaudhry	United Provinces
Leela Ray	West Bengal
Malati Choudhury	Odisha
Purnima Banerji	United Provinces
Rajkumari Amrit Kaur	Central Provinces and Berar
Renuka Ray	West Bengal / General
Sarojini Naidu	Bihar
Sucheta Kripalani	United Provinces
Vijaya Lakshmi Pandit	United Provinces

- **There were 5 women from United Provinces**
- **10 women members were present in the first meeting of the Indian Constituent Assembly on 9 December 1946**

Annie Mascarene
Ammu Swaminathan
Begum Aizaz Rasul
Dakshayani Velayudhan
G. Durgabai
Hansa Mehta
Kamla Chaudhri
Leela Roy
Malati Choudhury
Purnima Banerjee
Renuka Ray
Sarojini Naidu
Sucheta Kripalani
Vijayalakshmi Pandit
Rajkumari Amrit Kaur

1) गठन (formation) ⟹ 6 dec 1946

2) दिल्ली

3) Symbol // चिन्ह ⇒ हाथी / Elephant

4) पहली बैठक first sitting ⇒ 9 dec 1946

5) अंतिम बैठक / Last sitting ⇒ 24 जनवरी 1950

6) अंगीकृत / Adopt ⇒ 26 Nov. 1949 — 26 Nov → C. Day

7) लागू / Implement ⇒ 26 janur 1950

4.5) गठन तथा प्रमुख बैठक

6 दिसम्बर 1946 (गठन)	9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक	26 नवंबर 1949 अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित	24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक	26 जनवरी 1950 पूर्ण क्रियान्वयन

2 साल
11 माह
18 दिन

4.5) Formation & Key Meetings

6 Dec 1946 Formation	9 Dec 1946 First session	26 Nov 1949 Adopted, enacted & self-surrendered	24 Jan 1950 Last session	26 Jan 1950 Full enforcement

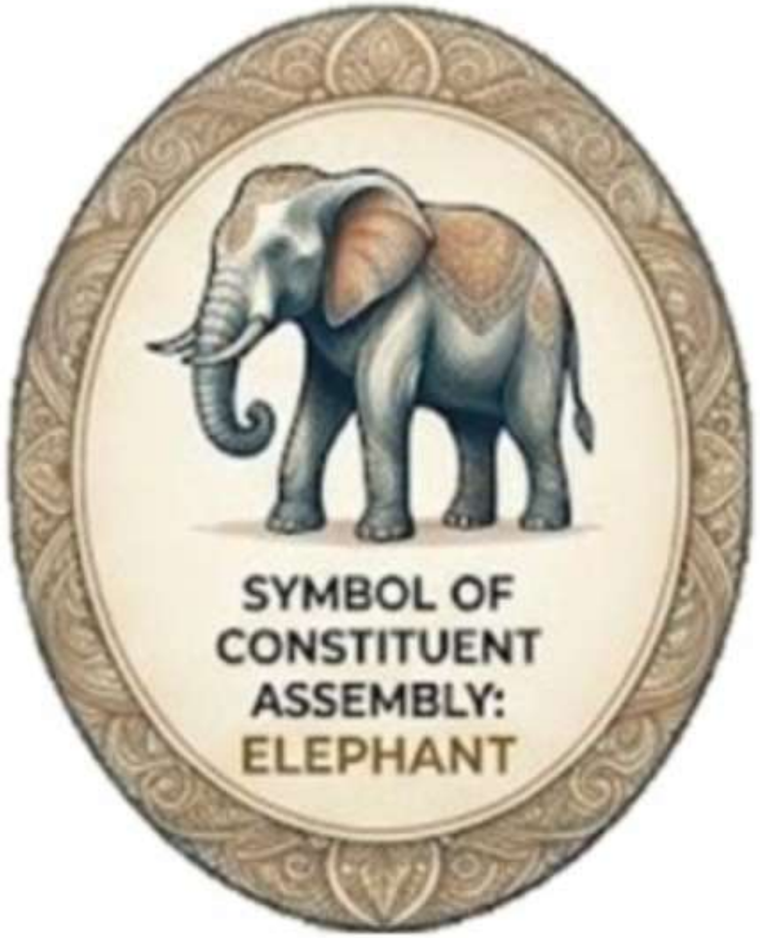

देश	अनुच्छेद	कार्य अवधि	समय
संयुक्त राज्य अमेरिका	7	25 मई, 1787 से 19 सितंबर, 1787	**चार माह से कम**
कनाडा	147	19 अक्टूबर, 1864 से मार्च, 1867	**लगभग 2 वर्ष 6 माह**
ऑस्ट्रेलिया	128	1891 से 1900	**लगभग 9 वर्ष**
दक्षिण अफ्रीका	153	अक्टूबर 1908 से सितंबर 1909	**एक वर्ष**
भारत	395	○ शुरुआत : 9 दिसंबर 1946 ○ अंतिम रूप : 26 नवंबर 1949 ○ लागू हुआ : 26 जनवरी 1950	○ **2 साल, 11 महीने और 18 दिन** ○ **11 सत्र**

✓ 26 नवंबर → संविधान दिवस (राष्ट्रीय कानून दिवस)

✓ भारत में **संविधान दिवस** (Samvidhan Divas) मनाने की आधिकारिक शुरुआत 19 नवंबर 2015 से हुई थी। यह दिन हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है,

Country	Articles	Working Period	Time Taken
America	7	25 May 1787 to 19 September 1787	Less than four months
Canada	147	19 October 1864 to March 1867	About 2 years 6 months
Australia	128	1891 to 1900	About 9 years
South Africa	153	October 1908 to September 1909	One year
India	395	○ Start : 9 December 1946 ○ Adopt : 26 November 1949 ○ Implement : 26 January 1950	○ 2 years, 11 months and 18 days ○ 11 Sessions

- ✓ 26 November → Constitution Day (National Law Day)
- ✓ The official observance of Constitution Day (Samvidhan Divas) in India began from the year 19 November 2015.

सत्र	तिथि
01 पहला सत्र	9–23 दिसम्बर, 1946
02 दूसरा सत्र	20–25 जनवरी, 1947
03 तीसरा सत्र	28 अप्रैल – 2 मई, 1947
04 चौथा सत्र	14–31 जुलाई, 1947
05 पांचवां सत्र	14–30 अगस्त, 1947
06 छठा सत्र	27 जनवरी, 1948
07 सातवां सत्र	4 नवम्बर, 1948 – 8 जनवरी, 1949
08 आठवां सत्र	16 मई – 16 जून, 1949
09 नवां सत्र	30 जुलाई – 18 सितम्बर, 1949
10 दसवां सत्र	6–17 अक्टूबर, 1949
11 ग्यारहवां सत्र	14–26 नवम्बर, 1949

संविधान सभा की पहली बैठक / first sitting of C.A.

- 9 दिसंबर 1946
- सुबह 11 बजे
- संसद का केन्द्रीय कक्ष (नई दिल्ली)
  Central hall of parliament (New Delhi)

- सच्चिदानंद सिन्हा → संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष (tempo chair of CA)
  - प्रस्ताव (Pro) = JB कृपलानी
  - फ्रांस (french)

उपसभापति (Vice ch) = फ्रैंक एंथोनी (MP)

दूसरी बैठक | IInd Sitting

- 10 दिसंबर 1946 ✓
- नियम (Rule)

तीसरी बैठक | 3rd Sitting

- 11 दिसंबर 1946
  - डा राजेन्द्र प्रसाद → स्थाई अध्यक्ष permanent Chairman
  - दो उपाध्यक्ष 2 VC
    - HK मुखर्जी
    - VT कृष्णामाचारी

संविधान सभा की प्रथम बैठक → सोमवार → प्रातः 11 बजे → 9 दिसम्बर, 1946 → पहला सत्र (9–23 दिसम्बर 1946)

- संसद भवन के केंद्रीय कक्ष **(कॉन्स्टिट्यूशन हॉल), नई दिल्ली**
- अस्थायी अध्यक्ष → फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (बिहार)**
  - ≈ आचार्य जे.बी. कृपलानी ने प्रस्तावित किया था
- प्रथम मनोनीत उपसभापति → **फ्रेंक एंथोनी (मध्य प्रांत)**
- मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण इस बैठक में **कुल 207 सदस्यों** ने भाग लिया।
- शुभकामना संदेश → संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया
- **प्रसन्न देव रेकुट** → संविधान सभा के पहले सत्र से पांच दिन पहले, 4 दिसंबर 1946 को उनका **निधन हो** गया

संविधान सभा की प्रथम बैठक → सोमवार → प्रातः 11 बजे → 10 दिसम्बर, 1946

- अस्थायी अध्यक्ष (Temporary Chairman) → डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
- मुख्य फोकस → सभा को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक आधार तैयार करना था।
  - ≈ **सभा के आंतरिक 'नियम तय करने' का दिन**
- स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया → आचार्य जे.बी. कृपलानी ने एक प्रस्ताव पेश किया

First Session of the Constituent Assembly → Monday → Morning 11:00 AM → 9 December 1946 → First Session (9–23 December 1946)

- Central Hall of Parliament House (Constitution Hall), New Delhi
- Temporary Chairman → As per French tradition, the most senior member of the assembly: **Dr. Sachchidananda Sinha** (Bihar)
  - ≈ Proposed by Acharya J.B. Kripalani

- First Nominated Deputy Speaker → **Frank Anthony (Central Provinces)**
- Due to the boycott by the Muslim League, a total of 207 members participated in this session.
- Goodwill messages received from → United States of America, China and Australia
- **Prasanna Deo Rekut** → passed away on 4 December 1946, five days before the first session of the Constituent Assembly.

First Session of the Constituent Assembly → Monday → Morning 11:00 AM → 10 December 1946

- Temporary Chairman → Dr. Sachchidananda Sinha
- Main Focus → To lay the administrative and procedural groundwork for smooth functioning of the assembly.
  - **The day for setting the internal 'rules of procedure' of the assembly**
- Process for election of Permanent Chairman → A proposal was presented by Acharya J.B. Kripalani

संविधान सभा की तीसरी बैठक → 11 दिसंबर 1946

- **स्थायी अध्यक्ष का चुनाव → डॉ. राजेंद्र प्रसाद**
- दो उपाध्यक्ष →
  - ≈ **हरेंद्र कुमार मुखर्जी तथा वी. टी. कृष्णमाचारी (जयपुर रियासत)**
- संवैधानिक सलाहकार → **बी.एन. राव (Benegal Narsing Rau)**
- **सचिव → एच.वी.आर. अयंगर (हूराव वरदराज आयंगर)**
- मुख्य प्रारूपकार (Chief Draftsman) → एस.एन. मुखर्जी
- सुलेखक (Calligrapher) → प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा

संविधान सभा की चौथी बैठक → 12 दिसंबर 1946

- स्थायी अध्यक्ष → डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- 'उद्देश्य प्रस्ताव' का स्थगन (Postponement of Objective Resolution):
- **नियम समिति (Rules Committee) के कामकाज पर चर्चा**

Third Session of the Constituent Assembly → 11 December 1946

- **Election of Permanent President → Dr. Rajendra Prasad**
- Two Vice Presidents →
  - Harendra Kumar Mukherjee and V.T. Krishnamachari (Jaipur State)
- Constitutional Adviser → **B.N. Rau (Benegal Narsing Rau)**
- **Secretary → H.V.R. Iyengar (Hurav Varadraj Iyengar)**
- Chief Draftsman → S.N. Mukherjee
- Calligrapher → Prem Bihari Narayan Raizada

Fourth Session of the Constituent Assembly → 12 December 1946

- Permanent President → Dr. Rajendra Prasad
- Postponement of 'Objective Resolution' (Postponement of Objective Resolution)
- **Discussion on the work of the Rules Committee**

संविधान सभा की पांचवी बैठक → 13 दिसंबर 1946

- **जवाहरलाल नेहरू → 'उद्देश्य प्रस्ताव' → संविधान की आत्मा और मूल दर्शन**
- समर्थन → पुरुषोत्तम दास टंडन
- **स्वीकृति → 22 जनवरी 1947**
- **8 अनुच्छेद**
  - एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य
  - एकता और अखंडता
  - राज्यों का संघ (Union) → प्रांतों, रियासतों और उन सभी क्षेत्रों का एक संघ होगा जो इसमें शामिल होना चाहते हैं।
  - सत्ता का स्रोत → 'जनता
  - न्याय और समानता → सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ-साथ समानता।
  - मौलिक स्वतंत्रता → विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा और व्यवसाय
  - कमजोर वर्गों की सुरक्षा → अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्र
  - विश्व शांति → भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और पूरी मानवता के कल्याण के लिए अपना योगदान देगा।

Fifth Session of the Constituent Assembly → 13 December 1946

- **Jawaharlal Nehru → 'Objective Resolution' → Soul and Core Philosophy of the Constitution**
- Supported by → Purushottam Das Tandon
- **Adopted → 22 January 1947**
- **8 Articles**
  - An independent and sovereign republic
  - Unity and integrity
  - Union of States → A union of provinces, princely states, and all territories that wish to join it
  - Source of power → 'The People'
  - Justice and equality → Social, economic, and political justice along with equality
  - Fundamental freedoms → Thought, expression, belief, faith, worship, and occupation
  - Protection of weaker sections → Minorities, backward classes, and tribal areas
  - World peace → India will contribute to international peace and the welfare of all humanity

संविधान सभा की प्रथम बैठक
9 दिसंबर 1946
CONSTITUTION
1
बुनियादी विवरण
दिन: सोमवार
समय: प्रात: 11:00 बजे
स्थान: संसद भवन के केंद्रीय कक्ष (कॉन्स्टिट्यूशन हॉल), नई दिल्ली
अस्थायी नेतृत्व
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (बिहार)
DR. SACHCHIDANAND SINHA
अस्थायी अध्यक्ष
PROVISIONAL PRESIDENT
फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए, सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य
प्रस्तावक: आचार्य जे.बी. कृपलानी
फ्रेंक एंथोनी (मध्य प्रांत)
FRANK ANTHONY
प्रथम मनोनीत उपसभापति
FIRST NOMINATED VICE-PRESIDENT
3
सहभागिता और परिप्रेक्ष्य
कुल प्रतिभागी:
207 सदस्य
कारण: मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण (अपेक्षित से कम)
4
वैश्विक सद्भावना संदेश
शुभकामना संदेश:
संयुक्त राज्य अमेरिका
चीन
ऑस्ट्रेलिया
श्रद्धांजलि
निधन (पहले सत्र से पूर्व):
प्रसन्न देव रेकुट
संविधान सभा के पहले सत्र से पांच दिन पहले, 4 दिसंबर 1946 को उनका निधन हो गया
संविधान निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम
HISTORIC STEP TOWARDS CONSTITUTION MAKING

4.6) संविधान सभा के प्रमुख समितियां

22 समितियाँ

8 प्रमुख समितियाँ

1. प्रारूप समिति (Drafting)	डॉ. बी.आर. अंबेडकर
2. संघ शक्ति समिति (Union Powers)	पंडित जवाहरलाल नेहरू
3. संघीय संविधान समिति (Union)	पंडित जवाहरलाल नेहरू
4. प्रांतीय संविधान समिति (Provincial)	सरदार वल्लभभाई पटेल
5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय	सरदार वल्लभभाई पटेल
6. प्रक्रिया नियम समिति (Procedure)	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
7. राज्यों से समझौता	पंडित जवाहरलाल नेहरू
8. संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद

14 छोटी समितियां

- **राष्ट्रीय ध्वज : डॉ. राजेंद्र प्रसाद**
- वित्त एवं कर्मचारी समिति : डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- **संविधान सभा के कार्यो के लिए समिति : जी.वी. मावलंकर**
- **सर्वोच्च न्यायालय : एस. वर्दाचारी (सभा के सदस्य नही)**
- **मौलिक अधिकार उप-समितिः** जे.बी. कृपलानी
- **अल्पसंख्यक उप-समितिः** एच.सी. मुखर्जी
- **असम जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों की उप-समिति :** गोपीनाथ बारदोलोई
- कार्य संचालन समिति : डॉ. के.एम. मुंशी

4.6) Key Committees of the Constituent Assembly

22 Committees

8 Major Committees

1. Drafting Committee	Dr. B.R. Ambedkar
2. Union Powers Committee	Pandit Jawaharlal Nehru
3. Union Constitution Committee	Pandit Jawaharlal Nehru
4. Provincial Constitution Committee	Sardar Vallabhbhai Patel
5. Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal Areas	Sardar Vallabhbhai Patel
6. Rules of Procedure Committee	Dr. Rajendra Prasad
7. States Negotiating Commi	Pandit Jawaharlal Nehru
8. Steering Committee	Dr. Rajendra Prasad

14 Minor Committees

- **National Flag Committee: Dr. Rajendra Prasad**
- Finance and Staff Committee: Dr. Rajendra Prasad
- **Committee for the Functions of the Constituent Assembly: G.V. Mavalankar**
- **Supreme Court Committee: S. Vardachari (not a member of the Assembly)**
- **Fundamental Rights Sub-Committee**: J.B. Kripalani
- **Minorities Sub-Committee:** H.C. Mukherjee
- **Sub-Committee for Assam Tribal and Excluded Areas:** Gopinath Bardoloi
- Business Conduct Committee: Dr. K.M. Munshi

प्रारूप समिति (Drafting Committee)

1) **गठन (Formation) → 29 अगस्त 1947**

2) उद्देश्य (Objective) → संवैधानिक सलाहकार (सर बी.एन. राव) द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारंभिक मसौदे पर विचार करना और उसे अंतिम रूप देना।

- Δ प्रथम बैठक → 30 अगस्त 1947
- Δ कुल बैठकें → 141 दिन
- Δ पहला प्रारूप का प्रकाशन → 21 फरवरी 1948
- Δ दूसरा प्रारूप → अक्टूबर 1948
- Δ अंतिम प्रारूप → 4 नवंबर 1948

3) **अंतिम स्वीकृति → 26 नवंबर 1949**

5) **समिति के सदस्य (कुल 7 सदस्य)**

- Δ अध्यक्ष → डॉ. बी.आर. अंबेडकर
- Δ एन. गोपालस्वामी आयंगर
- Δ अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
- Δ डॉ. के.एम. मुंशी (एकमात्र कांग्रेसी)
- Δ सैयद मोहम्मद सादुल्लाह (मुस्लिम लीग)
- Δ एन. माधव राव (इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था।)
- Δ टी.टी. कृष्णामचारी (इन्होंने 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनका स्थान लिया था।)

अनुच्छेद 393 में संविधान का 'संक्षिप्त नाम' (Short Title) दिया गया है, जो कहता है: "इस संविधान का संक्षिप्त नाम **भारत का संविधान (The Constitution of India)** होगा।" 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में इस नाम और प्रस्तावना वाले भाग पर अंतिम रूप से चर्चा हुई थी।

Drafting Committee

1) **Formation → 29 August 1947**

2) Objective → To consider and finalize the preliminary draft of the Constitution prepared by the Constitutional Adviser (Sir B.N. Rau).

   - First Meeting → 30 August 1947
   - Total Meetings → 141 days
   - Publication of First Draft → 21 February 1948
   - Second Draft → October 1948
   - Final Draft → 4 November 1948

3) **Final Adoption → 26 November 1949**

5) **Committee Members (Total 7 Members)**

   - Chairman → Dr. B.R. Ambedkar
   - N. Gopalaswami Ayyangar
   - Alladi Krishnaswami Ayyar
   - Dr. K.M. Munshi (the only Congressman)
   - Syed Mohammad Saadullah (Muslim League)
   - N. Madhav Rao (replaced B.L. Mitra, who had resigned due to health reasons)
   - T.T. Krishnamachari (replaced D.P. Khaitan after his death in 1948)

> Article 393 gives the 'Short Title' of the Constitution, which states: 'This Constitution may be called the Constitution of India.' On 17 October 1949, the Constituent Assembly held its final discussion on the name and the Preamble section.

तीन चरण या 'वाचन' (Readings)

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर, 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। सभा में इस पर पांच दिन (9 नवंबर, 1948 तक) आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इस अवधि में कम-से-कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आये, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुयी। । कुल सत्रों की अवधि **165 दिन थी, जिसमें से 114 दिन ड्राफ्ट** पर बहस के लिए समर्पित थे।

प्रथम वाचन	द्वितीय वाचन (Second Reading)	तृतीय वाचन (Third Reading)
4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948	**15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949**	**14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949**
	❑ प्रत्येक खण्ड पर व्यापक विचार विमर्श ❑ 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से **2,473 संशोधनों** पर सदन में चर्चा हुई	❑ डॉ. भीमराव अम्बेडकर → The Constitution as settled by the Assembly be passed ❑ 26 नवंबर 1949 → अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित ❑ 26 जनवरी 1950 को लागू → गणतंत्र दिवस

Three Stages or 'Readings'

Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution in the Assembly on November 4, 1948. A general discussion on it took place in the Assembly for five days (until November 9, 1948). The Constitution was taken up for consideration for the second time starting from November 15, 1948. During this period, at least 7,653 amendment proposals were received, of which only 2,473 were actually discussed in the Assembly. The total duration of the sessions was 165 days, of which 114 days were dedicated to debating the draft.

First Reading	Second Reading	Third Reading
4 Nov 1948 to 9 November 1948	15 November 1948 to 17 October 1949	14 November 1949 to 26 November 1949
	❑ Extensive deliberation on each clause ❑ 7,635 amendments were proposed, out of which 2,473 amendments were discussed in the House	❑ Dr. B.R. Ambedkar → The Constitution as settled by the Assembly be passed ❑ 26 November 1949 → Adopted, Enacted and Self-promulgated ❑ Came into effect on 26 January 1950 → Republic Day

संविधान सभा में
डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रमुख कथन

"संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो,
यदि उसे लागू करने वाले **लोग बुरे हैं**,
तो वह अंततः बुरा ही साबित होगा।
इसके विपरीत, संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो,
यदि उसे लागू करने वाले **लोग अच्छे हैं**,
तो वह अच्छा साबित होगा।"

"26 जनवरी 1950 को हम **अंतर्विरोधों**
(Contradictions) के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं।
राजनीति में हमारे पास **समानता** होगी,
लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में **असमानता** होगी।
राजनीति में हम **'एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य'**
के सिद्धांत को मान्यता देंगे, लेकिन हमारे सामाजिक
और आर्थिक ढांचे के कारण हम **'एक व्यक्ति, एक मूल्य'**
के सिद्धांत को नकारते रहेंगे।"

"धर्म में **'भक्ति'** आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती हैं,
लेकिन राजनीति में भक्ति या **नायक-पूजा**
(Hero-worship) पतन और अंततः **तानाशाही**
(Dictatorship) का एक सुनिश्चित मार्ग हैं।"

"हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने
के लिए **केवल संवैधानिक तरीकों** को ही अपनाना चाहिए।
इसका मतलब है कि हमें **खूनी क्रांतियों, सविनय अवज्ञा,
असहयोग और सत्याग्रह** के तरीकों को छोड़ देना चाहिए।
जहा संवैधानिक तरीकें खुले हों, वहां इन असंवैधानिक
तरीकों का कोई औचित्य नहीं हैं। ये तरीके और कुछ नहीं
बल्कि **'अराजकता का व्याकरण'** हैं और इन्हें जितनी
जल्दी छोड़ दिया जाए, उतना ही अच्छा हैं।"

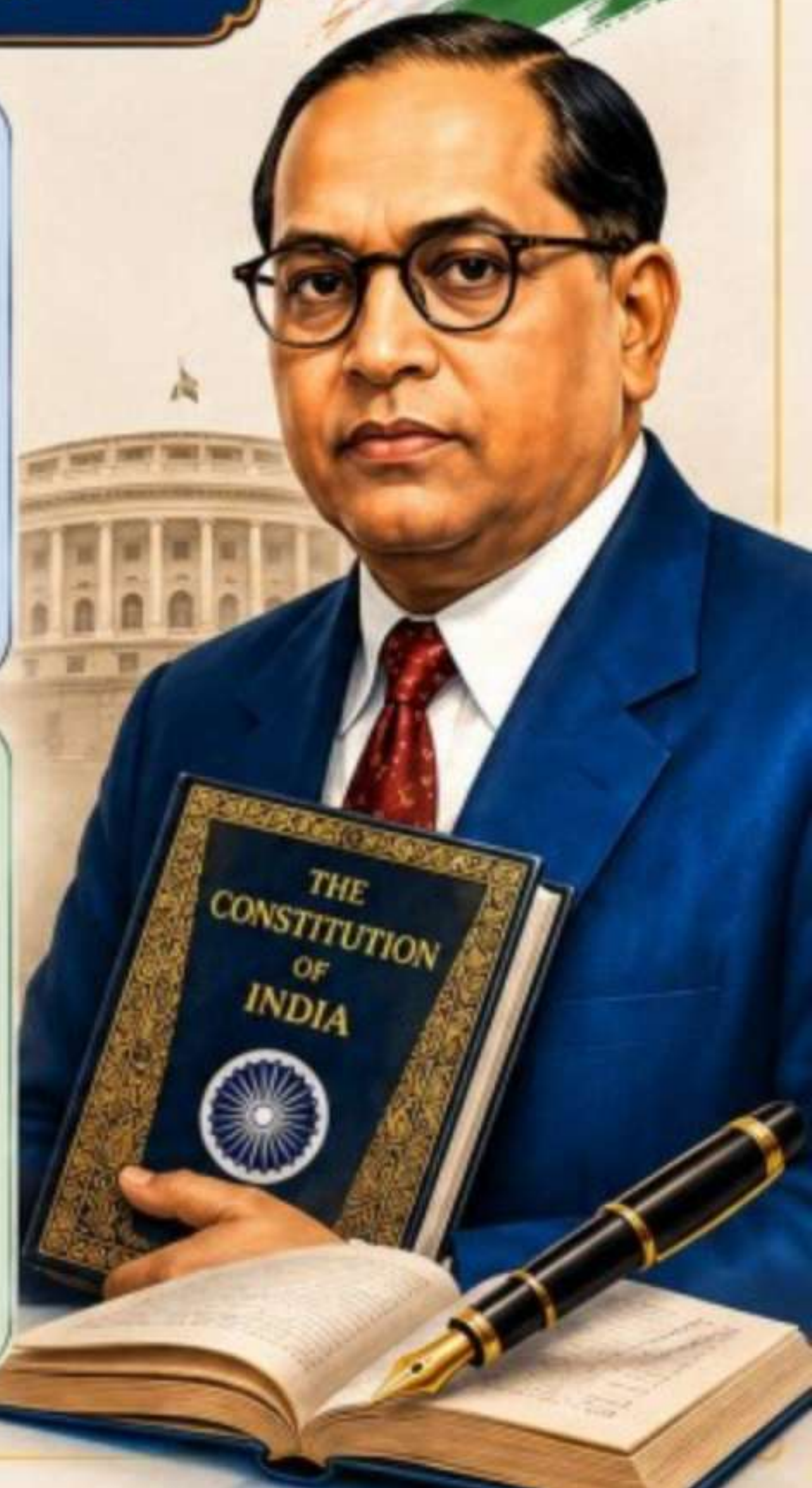

★ डॉ. अंबेडकरे कें विचार आज भी हमारें लोकतंत्र कें मार्गदर्शक हैं। ★

Key Statements of
Dr. Bhimrao Ambedkar in the Constituent Assembly

"However good a Constitution may be, if those who are implementing it are **bad people**, it will finally prove to be bad. Contrarily, however bad a Constitution may be, if those who are implementing it are **good people**, it will finally prove to be good."

"'On 26th of January 1950, we are going to enter into a life of **contradictions**. In politics, we will have **equality**, but in social and economic life we will will have **inequality**. In politics we will be recognizing the principle of 'one man one vote and one vote one value', but in our social and economic life we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of 'one man one value''."

"**'Bhakti'** in religion may be a road to the salvation of the soul, but in politics Bhakti or **hero-worship** is a sure road to degradation and eventual **dictatorship**."

"We must hold fast to constitutional methods for achieving our social and economic objectives. This means we must **abandon the methods of bloody revolution, civil disobedience, non-cooperation** and **Satyagraha**. Where constitutional methods are open, no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the 'Grammar of Anarchy' and the sooner they are abandoned, the better for us."

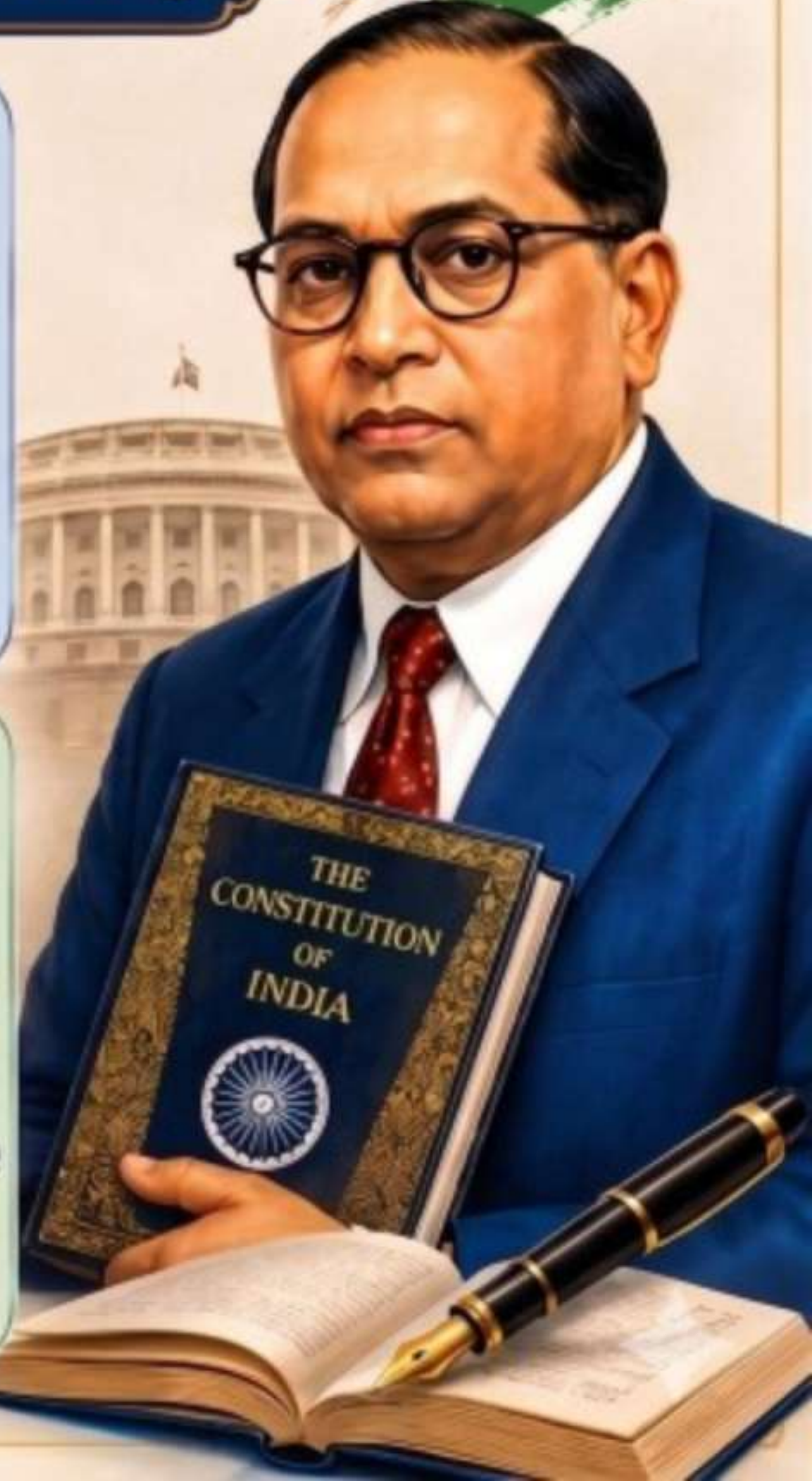

★ Dr. Ambedkar's thoughts continue to guide our democracy today. ★

4.7) संविधान सभा की अंतिम बैठक → 24 जनवरी, 1950

1) **डॉ. राजेंद्र प्रसाद → भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव**

2) संविधान सभा का 'अंतरिम संसद' में परिवर्तन

3) **राष्ट्रीय गान → 'जन-गण-मन'**
   - लेखक → गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर।
   - मूल भाषा → बंगाली (मूल गीत में 5 पद)
   - पहली बार गाया गया → 27 दिसंबर 1911 (कलकत्ता अधिवेशन)
   - गाने का समय → 52 सेकंड
   - संक्षिप्त संस्करण → 20 सेकंड
   - Prevention of Insults to National Honour Act, 1971
   - मामला → बिजॉय इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986)
   - 1919 में रवींद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश में इसका अंग्रेजी अनुवाद "द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया" के शीर्षक से किया था।

4) **राष्ट्रीय गीत →'वंदे मातरम'**
   - रचयिता (लेखक) : बंकिम चंद्र चटर्जी
   - मूल स्रोत : 'आनंदमठ' (1882 - संन्यासी विद्रोह)
   - प्रथम गायन : 1896 (कलकत्ता अधिवेशन)
   - रवींद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया
   - गायन की अवधि : 65 सेकंड (1 मिनट 5 सेकंड)।
   - अंग्रेजी अनुवाद : श्री अरबिंदो
   - 1905 के बंग-भंग (स्वदेशी)

5) कुल **299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य**
   - पहले जवाहरलाल नेहरू और अंत में फिरोज गांधी के हस्ताक्षर माने जाते हैं, जबकि डॉ. राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर सबसे ऊपर थे।

4.7) Last Session of the Constituent Assembly → 24 January 1950

1) **Dr. Rajendra Prasad → Elected as first President of India**
2) Conversion of the Constituent Assembly into 'Provisional Parliament'
3) **National Anthem → 'Jana-Gana-Mana'**
   - Author → Gurudev Rabindranath Tagore
   - Original Language → Bengali (5 stanzas in the original song)
   - First Sung → 27 December 1911 (Calcutta Session)
   - Duration of Singing → 52 seconds
   - Abbreviated Version → 20 seconds
   - Prevention of Insults to National Honour Act, 1971
   - Case → Bijoe Emmanuel vs. State of Kerala (1986)
   - In 1919, Rabindranath Tagore translated it into English in Andhra Pradesh under the title 'The Morning Song of India'.
4) **National Song → 'Vande Mataram'**
   - Composer (Author): Bankim Chandra Chatterjee
   - Original Source: 'Anandamath' (1882 – Sannyasi Rebellion)
   - First Sung: 1896 (Calcutta Session)
   - Set to music by Rabindranath Tagore
   - Duration of Singing: 65 seconds (1 minute 5 seconds)
   - English Translation: Sri Aurobindo
   - Associated with the 1905 Partition of Bengal (Swadeshi Movement)
5) Out of 299 total members, only 284 were present on that day.
   - The first signature is considered to be that of Jawaharlal Nehru and the last of Feroze Gandhi, while Dr. Rajendra Prasad's signature was at the top.

५.४) महत्वपूर्ण तथ्य

1) **राष्ट्रीय ध्वज → 22 जुलाई, 1947**
   - **मूल डिज़ाइन → आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक पिंगली वेंकैया**
2) राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन → मई 1949
3) **समय → 2 वर्ष, 11 माह और 18**
   - **कुल 11 सत्र**
   - लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन
   - कुल खर्च → ₹63,96,729
4) दो मूल प्रतियां → एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी में।
   - **संरक्षण → संसद भवन लाइब्रेरी (नई दिल्ली)**
   - नाइट्रोजन गैस से भरे विशेष शीशे के बक्सों
5) सुलेख (Calligraphy)
   - **हिंदी संस्करण → वसंत कृष्ण वैद्य**
   - **अंग्रेजी संस्करण → प्रेम बिहारी नारायण रायजादा** (Flowing Italic Style)
6) चित्रकारी और सजावट → शांतिनिकेतन के कलाकार
   - **चित्रकार → नंदलाल बोस (Nandalal Bose)**
   - प्रस्तावना' → ब्योहर राममनोहर सिन्हा
7) **संविधान सभा प्रतीक (मुहर) → हाथी**
8) **26 नवंबर 1949 → अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित**
   - अंगीकृत (Adopt) → स्वीकार करना या अपनाना।
   - अधिनियमित (Enact) → सर्वोच्च कानून के रूप में मान्यता
   - आत्मार्पित (Give to ourselves) → भारत की जनता ने खुद इसे बनाया है और खुद को ही इसके अधीन किया है।
   - **प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां**

4.8) Important Facts

1) **National Flag → 22 July 1947**
   - **Original Design → Pingali Venkayya, freedom fighter and agricultural scientist from Andhra Pradesh**
2) Confirmation of Commonwealth Membership → May 1949
3) **Time Taken → 2 years, 11 months, and 18 days**
   - **Total 11 Sessions**
   - Constitutions of approximately 60 countries were studied
   - Total Expenditure → ₹63,96,729
4) Two original copies → One in Hindi and one in English
   - **Preservation → Parliament House Library (New Delhi)**
   - Kept in special glass boxes filled with nitrogen gas.
5) Calligraphy
   - **Hindi Version → Vasant Krishna Vaidya**
   - **English Version → Prem Bihari Narayan Raizada (Flowing Italic Style)**
6) Artwork and Decoration → Artists of Shantiniketan
   - **Artist → Nandalal Bose**
   - Preamble → Beohar Rammanohar Sinha
7) **Constituent Assembly Symbol (Seal) → Elephant**
8) **26 November 1949 → Adopted, Enacted, and Given to Ourselves**
   - Adopted → To accept or embrace
   - Enacted → Recognised as the supreme law
   - Given to Ourselves → The people of India made it themselves and subjected themselves to it.
   - **Preamble, 395 Articles, and 8 Schedules**

राष्ट्रीय ध्वज → डॉ. राजेंद्र प्रसाद

- **स्वीकृति की तिथि → 22 जुलाई 1947**
- **ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात → 2:3**
- अशोक चक्र → 24 तीलियाँ
- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 → संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान
- भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code of India 2002)
- **नवीन जिंदल मामला (23 जनवरी 2004, सुप्रीम कोर्ट ,वी.एन. खरे) →** आदर और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)	गणतंत्र (26 जनवरी)
ध्वजारोहण (Flag Hoisting): झंडे को नीचे से रस्सी खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर खोला जाता है।	**ध्वज फहराना (Flag Unfurling):** झंडा पहले से ही पोल के शीर्ष पर बंधा होता है और उसे केवल खोला जाता है, ।
देश के प्रधानमंत्री	देश के राष्ट्रपति (21 तोपों की सलामी)
लाल किला, नई दिल्ली	कर्तव्य पथ, नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नेहरू जी ने **प्रिंसेस पार्क** में ध्वजारोहण किया था, जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ ने शहनाई बजाई थी।	○ रक्षा मंत्रालय ○ पहला (1950) : इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। ○ दूसरा : नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह।

National Flag Committee → Dr. Rajendra Prasad

- Date of Adoption → 22 July 1947
- Ratio of Width to Length of Flag → 2:3
- Ashoka Chakra → 24 spokes
- Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 → Constitution, National Flag, National Anthem
- Flag Code of India 2002
- Naveen Jindal Case (23 January 2004, Supreme Court, V.N. Khare) → Hoisting the National Flag with honour and dignity is a Fundamental Right of every citizen.

Independence Day (15 August)	Republic Day (26 January)
Flag Hoisting : The flag is pulled up from below using a rope and then unfurled.	Flag Unfurling : The flag is already tied at the top of the pole and is simply opened/released.
Prime Minister of the country	President of the country (21-gun salute)
Red Fort, New Delhi	Kartavya Path, New Delhi
PM Nehru hoisted the flag at **Princess Park**, where Ustad Bismillah Khan played the shehnai.	○ Ministry of Defence ○ First (1950): President Sukarno of Indonesia ○ Second: King Tribhuvan Bir Bikram Shah of Nepal

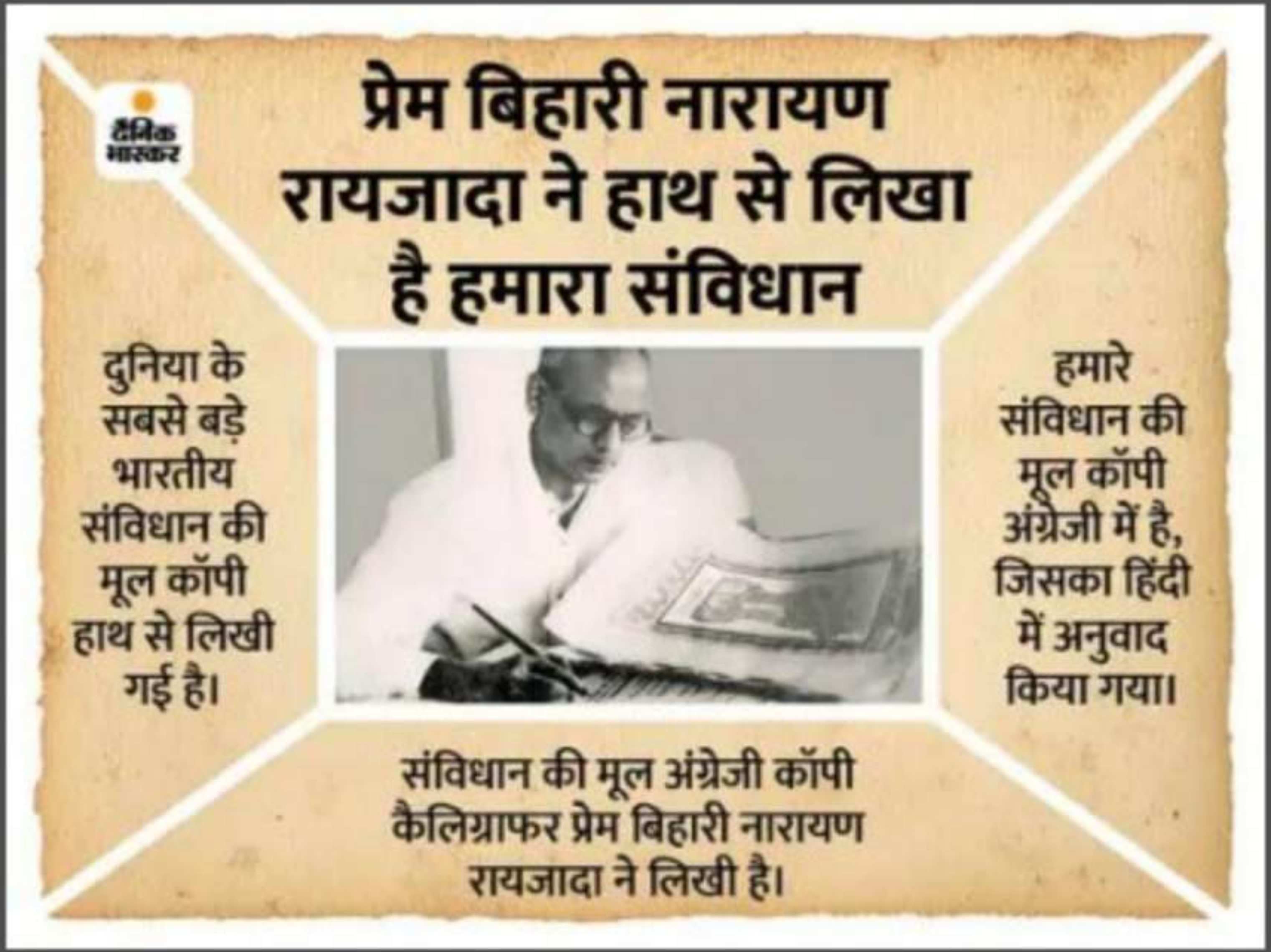
दैनिक भास्कर
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा है हमारा संविधान
दुनिया के सबसे बड़े भारतीय संविधान की मूल कॉपी हाथ से लिखी गई है।
हमारे संविधान की मूल कॉपी अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया।
संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी कैलिग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी है।

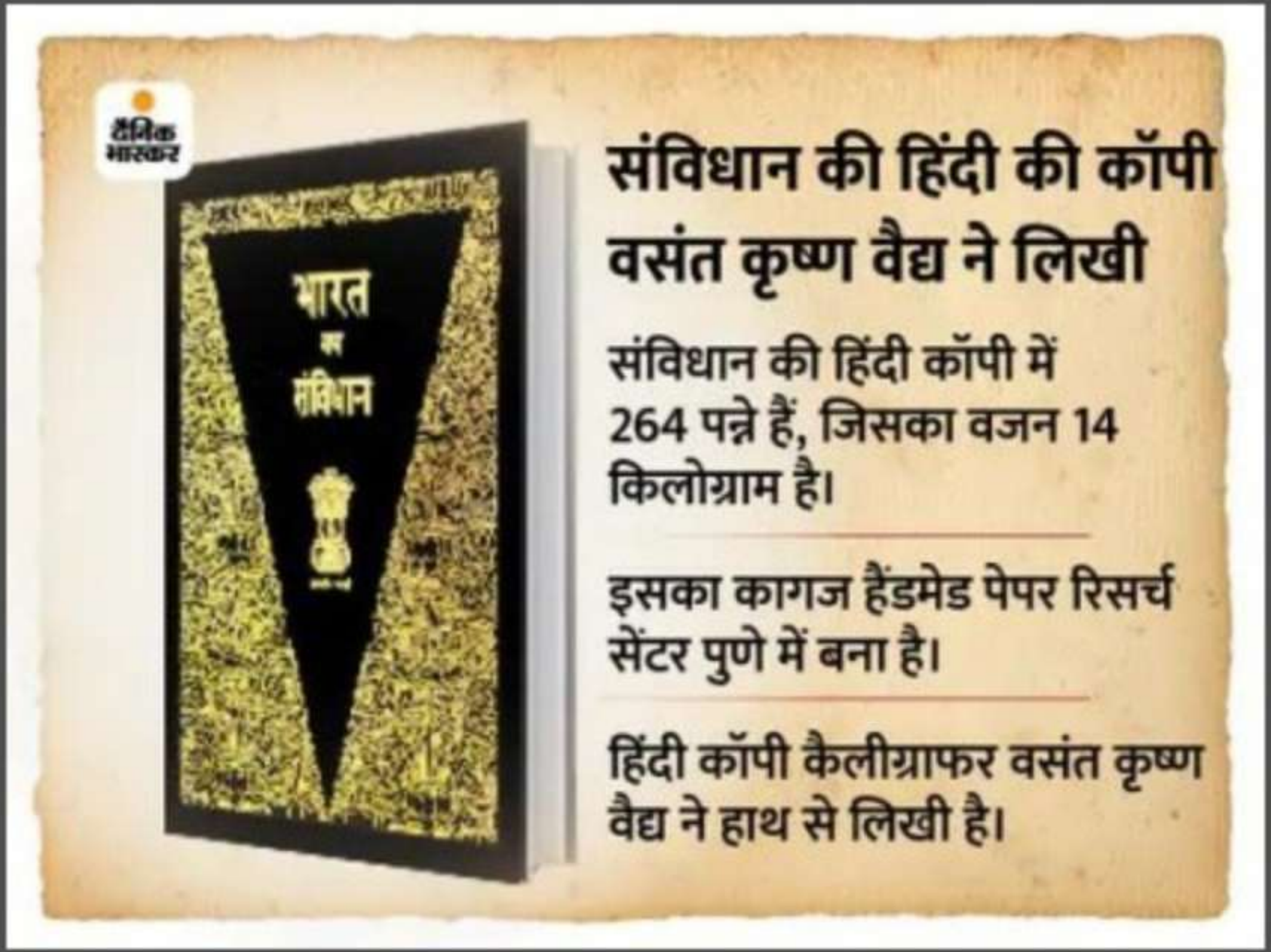
दैनिक भास्कर
भारत का संविधान
संविधान की हिंदी की कॉपी वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी
संविधान की हिंदी कॉपी में 264 पन्ने हैं, जिसका वजन 14 किलोग्राम है।
इसका कागज हैंडमेड पेपर रिसर्च सेंटर पुणे में बना है।
हिंदी कॉपी कैलीग्राफर वसंत कृष्ण वैद्य ने हाथ से लिखी है।

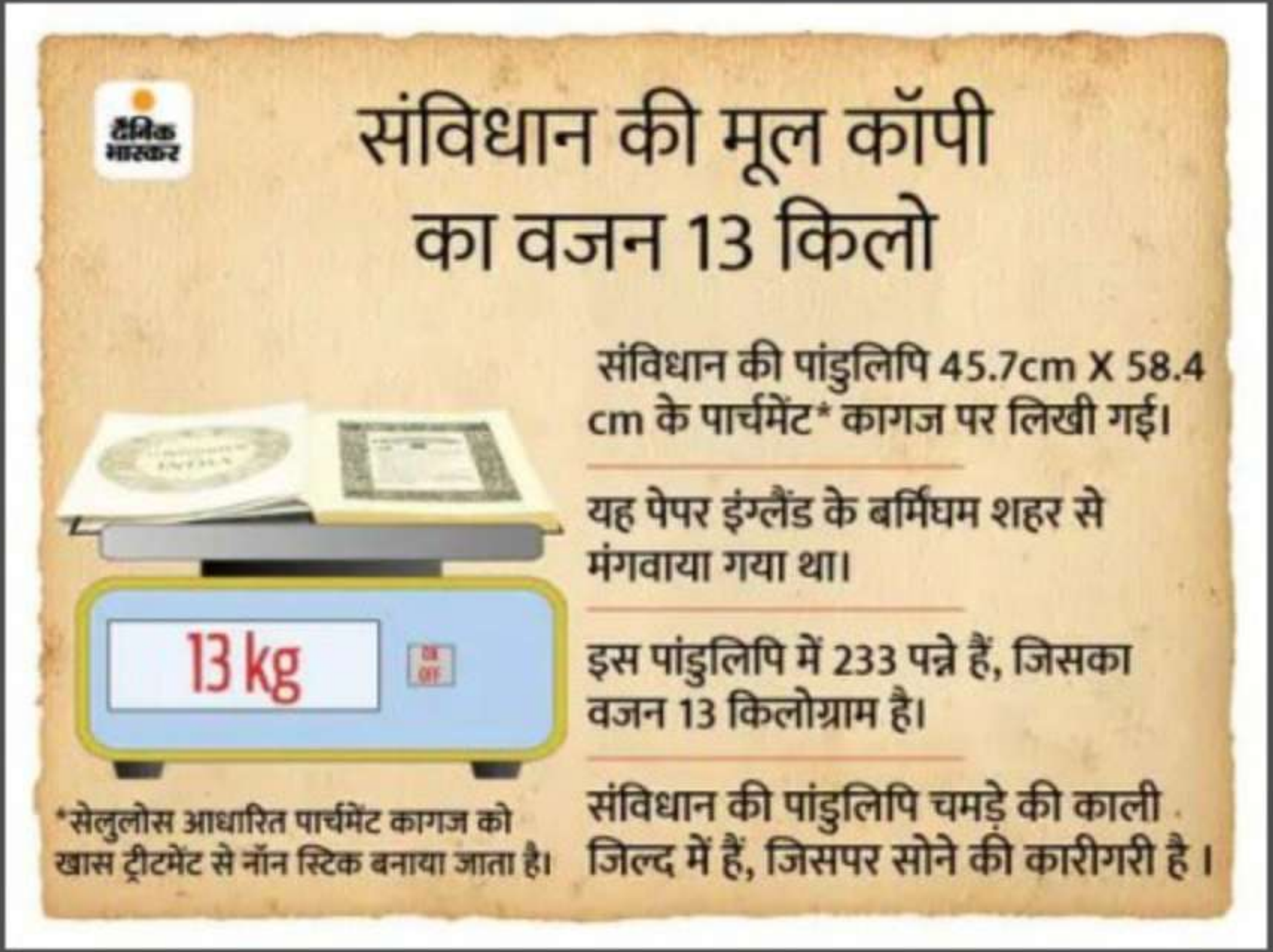
दैनिक भास्कर
संविधान की मूल कॉपी का वजन 13 किलो
संविधान की पांडुलिपि 45.7cm X 58.4 cm के पार्चमेंट* कागज पर लिखी गई।
यह पेपर इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगवाया गया था।
इस पांडुलिपि में 233 पन्ने हैं, जिसका वजन 13 किलोग्राम है।
संविधान की पांडुलिपि चमड़े की काली जिल्द में हैं, जिसपर सोने की कारीगरी है ।
13 kg
*सेलुलोस आधारित पार्चमेंट कागज को खास ट्रीटमेंट से नॉन स्टिक बनाया जाता है।

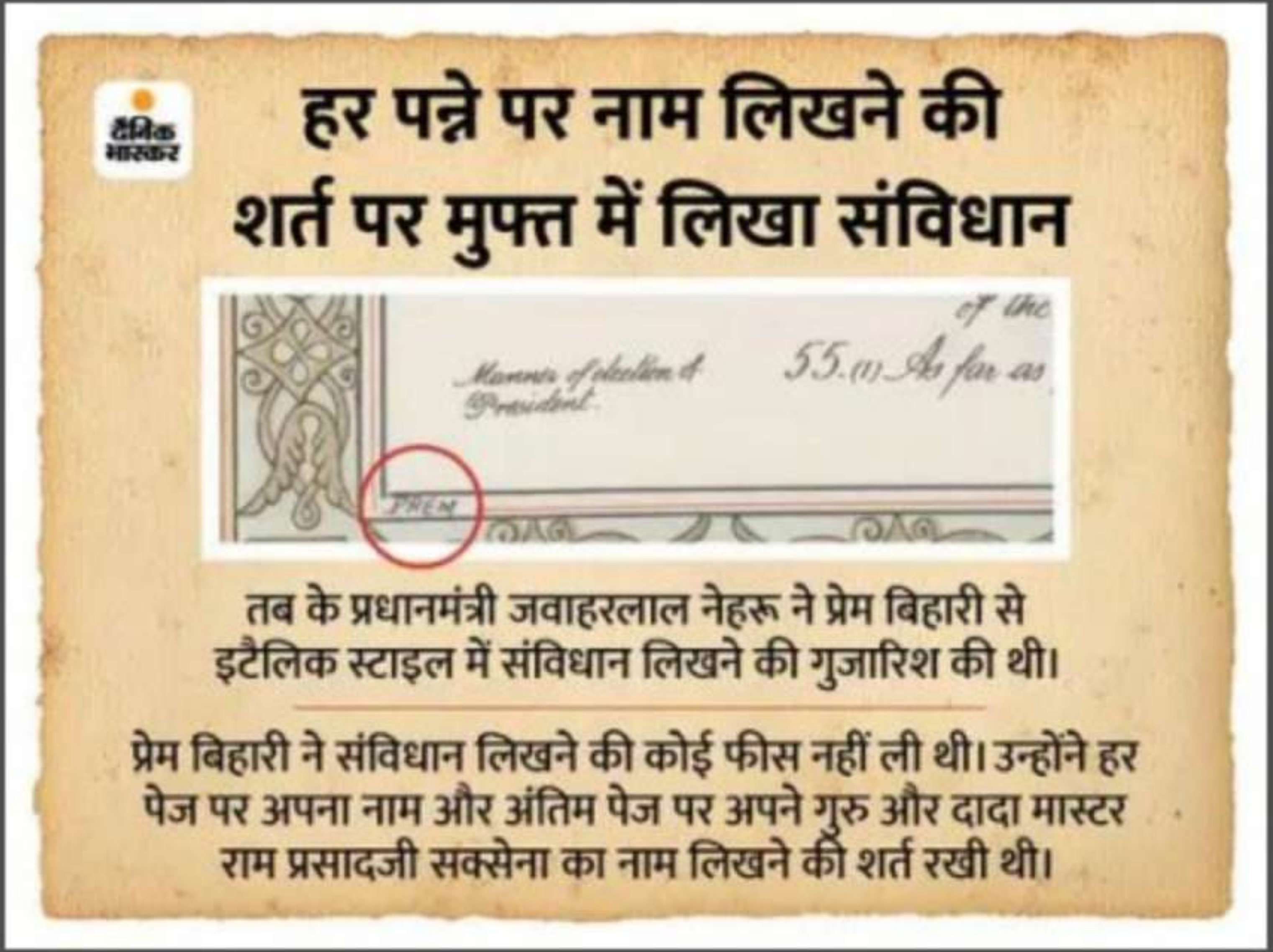
दैनिक भास्कर
हर पन्ने पर नाम लिखने की शर्त पर मुफ्त में लिखा संविधान
PREM
तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी से इटैलिक स्टाइल में संविधान लिखने की गुजारिश की थी।
प्रेम बिहारी ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली थी। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसादजी सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी।

दैनिक भास्कर

हर पन्ने पर नाम लिखने की शर्त पर मुफ्त में लिखा संविधान

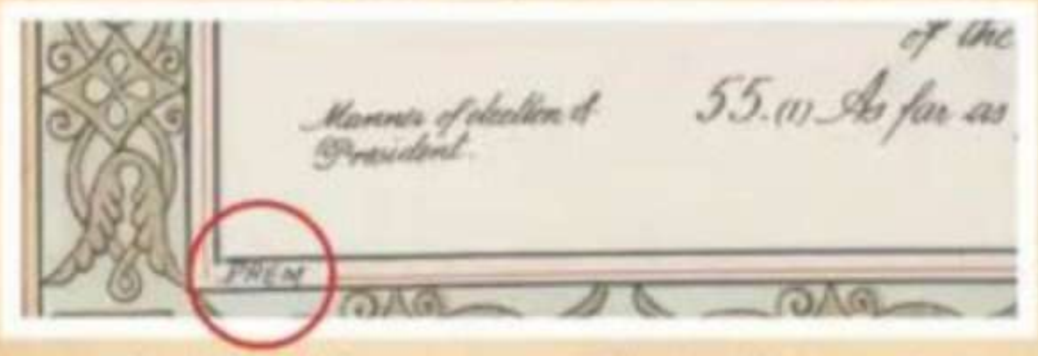

तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी से इटैलिक स्टाइल में संविधान लिखने की गुजारिश की थी।

प्रेम बिहारी ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली थी। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसादजी सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी।

दैनिक भास्कर

संविधान जिस कमरे में लिखा गया, वह संविधान क्लब बना

प्रेम बिहारी को संविधान हॉल में एक कमरा दिया गया। जो बाद में संविधान क्लब हो गया।

संविधान को हाथ से लिखने में 6 महीने लगे थे।

आखिर अमेरिकी कंपनी की मदद लेनी पड़ी

नेशनल फिजिकल लैबोरेट्री NPL ने इसके लिए अमेरिका के संविधान के लिए बनाए गए खास हीलियम वाले चैंबर जैसे बॉक्स का मॉडल अपनाया।

कई कोशिशों के बाद हीलियम गैस लीक होना बंद नहीं हुई। NPLने अपने वैज्ञानिक हरि किसन को फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी से मदद लेने पेरिस भेजा।

नवंबर 1992 में NPL ने अमेरिका की गेट्टी कन्जरवेशन इंस्टीट्यूट (GCI)से मदद ली।

GCI मिस्र में मिली ममी को ऐसे ही नाइट्रोजन बॉक्स में संरक्षित कर चुकी है।

1985 से शुरू हुई मूल कॉपी बचाने की कवायद

संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी और हिंदी कॉपी को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए पार्लियामेंट लाइब्रेरी ने 1985 के बाद लखनऊ में नेशलन रिसर्च लैबोरेट्री फॉर कन्जरवेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी से संपर्क साधा। मगर बात बनी नहीं।

इसके बाद पार्लियामेंट लाइब्रेरी की गुजारिश पर नेशनल फिजिकल लैबोरेट्री (NPL)ने अक्रिय गैसों वाले कांच के सील चैंबर विकसित करना शुरू किए।

राष्ट्रपति का भी अपना अलग झंडा था

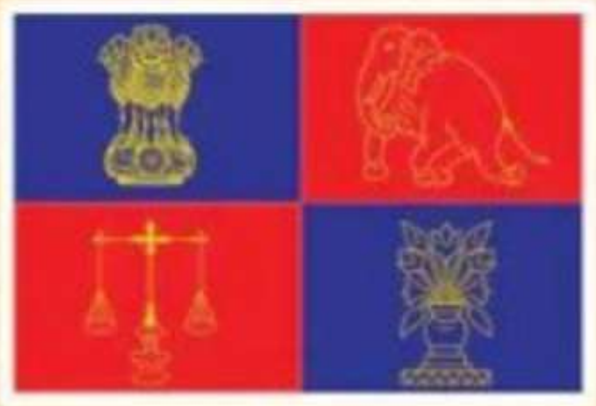

26 जनवरी 1950 से 1971 तक भारत के राष्ट्रपति का अलग झंडा था।

इस पर सारनाथ का सिंहस्तंभ और कमल कलश, अजंता गुफाओं का हाथी और लाल किले के तराजू की तस्वीरें थी।

सिंहस्तंभ एकता का, कमल कलश समृद्धि का, हाथी धैर्य और शक्ति का और तराजू अर्थव्यवस्था और न्याय का प्रतीक था।

1971 में राष्ट्रपति ने भी तिरंगे झंडे को अपना लिया।

26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में गवर्नर जनरल का झंडा उतारकर राष्ट्रपति का झंडा फहराया गया।

नाइट्रोजन के दो चैंबर में रखी हैं संविधान की दोनों मूल कॉपी

GCI ने 180cm*180cm*305cm के तीन सील बंद बॉक्स बनाए। इनमें दो को मार्च 1994 को कैलिफोर्निया से नई दिल्ली भेजा।

बॉक्स में 40-50% नमी के साथ नाइट्रोजन रहती है। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा 1% से ज्यादा नहीं होती।

सीलिंग की जबरदस्त तकनीक के बाद भी दोनों बॉक्स में हर सात महीने में 5 cubic cm ऑक्सीजन दाखिल हो जाती है।

इससे निपटने के लिए दोनों बॉक्स में ऐसे केमिकल रखे गए हैं जो ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं।

दैनिक भास्कर

इस वजह से संविधान में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के तिरछे हस्ताक्षर हैं

संविधान सभा की प्रमुख आलोचनाएँ

1 प्रतिनिधि निकाय नहीं
(Not a Representative Body)

यह सभा आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई नहीं थी।

2 संप्रभुता का अभाव
(Lack of Sovereignty)

यह सभा ब्रिटिश संसद की शक्ति से संप्रभु नहीं थी।

3 कांग्रेस का प्रभुत्व
(Dominated by Congress)

इस सभा पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण प्रभुत्व था।

4 समय की बर्बादी
(Time Consuming)

इसने बहुत अधिक समय लिया, जबकि देश को तत्काल आवश्यकताऐं थीं।

5 वकीलों और राजनीतिज्ञों का वर्चस्व
(Lawyer-Politician Domination)

इस सभा में वकीलों और राजनीतिज्ञों का वर्चस्व रहा, आम जनता की आवाज कम सुनी गई।

6 मुख्य रूप से हिंदुओं का प्रभुत्व
(Dominated by Hindus)

इस सभा में मुख्य रूप से हिंदू समुदाय का प्रभुत्व था, अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व कम था।

7 "उंधार का थैला" या 'पैचवर्क' होने की आलोचना
(A Bag of Borrowing)

इस पर विभिन्न देशों के संविधानों से उधार लेने और 'पैचवर्क' होने का आरोप लगाया गया।

भारतीय संविधान: प्रमुख कथन और विचार

'गांधीजी का सुझाव: कांग्रेस का विघटन'

भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिए जाने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था

सर आइवर जेनिंग्स: अल्पसंख्यकों की अनदेखी

"अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है।" - सर आइवर जेनिंग्स

डॉ. राजेंद्र प्रसाद: संविधान और मानवता

"एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूँकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है" - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

मौलाना आजाद: वयस्क मताधिकार का स्थगन

"संविधान सभा में वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी"

‘FAMOUS QUOTES & PROPOSALS: INDIAN CONSTITUTIONAL HISTORY (IN ENGLISH)